(15)

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
[illegible] औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
[illegible]
[illegible]।

पत्रांक: [illegible] /टी-3/ [illegible] लखनऊ : दिनांक 1/8 2011

विषय— स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ०प्र० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, औ०प्र०सं०, नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30-06-2010 पर दिनांक 08-06-2011 को महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिये गये हैं, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है—

क्र०सं०	व्यवसाय/यूनिट जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बद्धता का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	औ०प्र०सं० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-30/06/10 SIR - 26-08-10 w.e.f. Aug.2011
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
3-	COPA 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/182/2010-TC DATED 08/06/2011

प्रयोग किये गये संक्षिप्ताक्षर
(1) एस०सी०आई०आर०—स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
(2) एस०आई०आर०—पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
(3) डी०आई०आर०—विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
(4) यू०सी०—विचाराधीन
(5) एन०आर०—संस्तुति नहीं किया गया।
(6) एन०सी०—विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतायी गयी कमियों/त्रुटियों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करते हुए अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष — यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के कथित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसकी पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(राहुल [illegible])
अपर निदेशक (प्रशि०/शिशु)

पत्रांक: 4757 /टी-3/ [illegible] / [illegible] तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. [illegible] निदेशक (प्रशि०/शिशु) कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल [illegible])
अपर निदेशक (प्रशि०/शिशु)

Scanned with CamScanner